

मूल आवेदन संख्या-032/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04.2023 के कम में सिंचाई विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं की तथ्यात्मक एवं अनुपालन आख्या।

मा0 ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.04.2023 के अंश जो उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है, उनकी तथ्यात्मक एवं अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत् है:-

बिन्दु सं०	बिन्दु जिसका अनुपालन सिंचाई विभाग द्वारा किया जाना है।	बिन्दु की तथ्यात्मक एवं अनुपालन आख्या।
04	There is no mention in any of the replies as to what steps have been taken for notification of the flood plain zone of river Sonali.	<p>उत्तराखण्ड राज्य में बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम-2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार राज्य के अन्तर्गत अवस्थित विभिन्न नदियों का बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधीसूचित किये जाने हेतु आवश्यक जल विज्ञान सम्बन्धित अध्ययन जल विज्ञान मण्डल, बहादुराबाद सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा किया जा रहा है। नदी नालों की संख्या व उनकी लम्बाई अधिक होने तथा प्रत्येक नदी नाले की अलग-अलग जल विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता के कारण यह कार्य फेजवाइज किया जा रहा है।</p> <p>जनपद हरिद्वार स्थित सोलानी नदी सहित कुल 13 नदियों के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण निर्धारित किये जाने हेतु माह मार्च 2023 में जल विज्ञान मण्डल, बहादुराबाद सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा अनुबन्ध गठित किया गया है, जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित नदियों का सर्वे कार्य गतिमान है। उक्त तथ्य से सम्बन्धित साक्ष्य के रूप में अधीक्षण अभियन्ता जल विज्ञान मण्डल, बहादुराबाद, सिंचाई विभाग द्वारा विषयक नदी के FPZ निर्धारण हेतु आवश्यक Consultancy work प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धित आदेश की छायाप्रति संलग्न-01 के रूप में संलग्न है। बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण निर्धारित करने हेतु गठित अनुबन्ध के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 16.01.2024 निर्धारित की गयी है, तदोपरान्त बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम-2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार सोलानी नदी की अधीसूचना सम्बन्धित कार्यवाही माह दिसम्बर 2024 तक पूर्ण कर लिये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।</p>
05	Even it appears that no proper efforts have been made for identification of all encroachments on the Flood Plain Zone (FPZ) of river Sonali in the municipal limit/upstream and	<p>सोलानी नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्र में स्थित भूमि वर्तमान तक उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के स्वामित्व तथा नियंत्रण में है। प्रश्नगत Original Application वाद में मा0 ट्रिब्यूनल द्वारा पारित पूर्व आदेश दिनांक 10.02.2023 के अनुपालन में यूकेपीसीबी द्वारा दिनांक 13.04.2023 को दाखिल अपने उत्तर में विषयक नदी के भीतर कुल 18 किसानों का सोलानी नदी की भूमि में अवैध रूप से खेती किये जाने, जिसमें से 05 व्यक्तियों द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने का उल्लेख किया</p>

downstream of the river in the territory of Uttarakhand and removal of the same.	गया है। इस क्रम में अवगतनीय है कि शेष 13 अतिक्रमणकारियों को उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 11.04.2023 को अवैध रूप से काश्त की गयी चारे आदि की फसल को ट्रैक्टर से जुताई कर सिंचाई विभाग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है, जिसकी सूचना अधिशासी अभियन्ता उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रुडकी द्वारा अपने पत्रांक 227/उखगनरु/रा0अनु0/एन0जी0टी0, दिनांक 12.04.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा ज्वाइंट मजिस्ट्रे, रुडकी को प्रेषित की गयी है। तथ्य से सम्बन्धित साक्ष्य संलग्नक-02 के रूप से संलग्न है।
--	--

अतः तथ्यात्मक एवं अनुपालन आख्या सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


(प्रेम सिंह पवार)

मुख्य अभियन्ता, हरिद्वार।

पत्रांक 1488/मु0अ0ह0/कोर्ट केस/दिनांक 29.05.2023

उपरोक्तानुसार तथ्यात्मक एवं अनुपालन आख्या निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मा0 ट्रिब्यूनल द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.04.2023 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में मा0 ट्रिब्यूनल को ई-मेल द्वारा judicial-ngt@gov.in के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- प्रमुख अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ) सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्रांक 387/प्र0अभि0/वि0प्र0/OA/632/2022, दिनांक 02.05.2022 के क्रम में।
- 3- जिलाधिकारी, हरिद्वार।
- 4- ज्वाइंट मजिस्ट्रे, रुडकी। (द्वारा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुडकी)
- 5- पैरोकार/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुडकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि प्रतिवादी क्रं0सं0 03 की ओर से उपरोक्तानुसार तथ्यात्मक एवं अनुपालन आख्या के अनुरूप प्रतिशपथपत्र Original Application No. 632/2022 के बिन्दु जो सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है के सापेक्ष शपथपत्र तैयार करने हेतु विद्वान अधिवक्ता Shri Rahul Verma, Advocate (LLM) Supreme Court of India, Additional advocate general State of Uttarakhand के माध्यम से तैयार कराते हुए निर्धारित समयान्तर्गत मा0 ट्रिब्यूनल में दाखिल करना सुनिश्चित करें।


(प्रेम सिंह पवार)

मुख्य अभियन्ता, हरिद्वार।

91

संलग्नक-01

From.
 Superintending Engineer
 Hydraulics Circle, Bahadrad
 (I.R.I. Roorkee)
 Haridwar, Uttrakhand
 e-mail: sehyd24@gmail.com

To.
 Visiontek Consultancy Services Pvt. Ltd.
 Plot No. M-22 & 23, Chandaka Industrial Estate, Patiya
 Bhubaneswar-751024, Dist- Khurda, Odisha
 e-mail- visiontekin@gmail.com

Letter No. - 343/SE(Hyd)/FPZ

Date - 17.03.2023

Subject: Regarding Starting of Consultancy Work in Flood Plain Zoning Rivers Solani, Ratmau, Ramganga West, Nandhaur, Malin and Ladhiya (Lot -3).

Dear Sir,

This is to inform you that Agreement Signed for execution of the "Consultancy Work for Flood Plain Zoning in accordance with Uttrakhand Flood Plain Zoning Act-2012 in Rivers Solani, Ratmau, Ramganga West, Nandhaur, Malin and Ladhiya (Lot -3)." Has been registered as Agreement No. 03/SE(HYD)/FPZ/2022-23, Dated 17.03.2023 for an amount amount of 1,65,25,900.00 (Tendered amount 1,40,05,000.00 + GST@18%= Rs. 25,20,900) i.e. One crore Sixty Five Lakhs Twenty Five Thousand Nine Hundred Rupees Only.

Date of Start	:	17.03.2023
Due Date of Completion	:	16.01.2024

Please complete the work as per scheduled dates above according to the conditions of the contract.

A copy of contract agreement has been enclosed with this letter.

Letter No. - 343/ SE(Hyd)/FPZ, Dated - 17.03.2023

Copy to following for information and necessary action -

1. Chief engineer (Design) and Director IRI, Roorkee.
2. Executive Engineer, Hydraulics Division, Bahadrad.

2

 (R. C. Gupta)
 Superintending Engineer
 Hydraulics Circle, Bahadrad
 17/3/23

2

 (R. C. Gupta)
 Superintending Engineer
 Hydraulics Circle, Bahadrad
 17/3/23

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खंड गंगा नहर रुड़की

पत्रांक: 323 / उखगरु / राजस्व अनुभाग / एन0जी0टी0

दिनांक 25.05.2023

विषय:- मूल आवेदन संख्या-632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.04.2023 के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 1381 / मु0अ0ह0 / कोर्टकेस दिनांक 22.05.2023

मुख्य अभियन्ता स्तर-2 सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड हरिद्वार।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जो अधीक्षण अभियन्ता जल विज्ञान मण्डल सिंचाई विभाग बहादुराबाद हरिद्वार को सम्बोधित एवं प्रतिलिपि अन्य के साथ इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गयी है जो विषयगत प्रकरण से सम्बन्धित सोलानी नदी से लगी भूमि जो नदी के FPZ में स्थित है तथा इस पर स्थानीय काश्तकारों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2023 के क्रम में अनुपालन आख्या माननीय न्यायालय में दाखिल किए जाने के साथ-साथ अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने की वांछना की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण पर आख्या ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट को इस कार्यालय के पत्रांक सं0-227 / उखगरु / राजस्व अनुभाग / एन0जी0टी0, दिनांक 12.04.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित कर दी गयी है। प्रेषित आख्या की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।


25.5.23
अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खंड गंगा नहर
रुड़की

पत्रांक: / उखगरु / तदिनांक-

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (पैरोकार) सिंचाई खण्ड रुड़की को सन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खंड गंगा नहर
रुड़की

प्रेषक,

अधिशायी आभियन्ता

उत्तरी खण्ड गंगा नहर

रुडकी।

93

प्रेषित,

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट

रुडकी

पत्रांक:- 227 /उखगनरु/रा0अनु0/एन0जी0टी0

दिनांक 12.04.2023

विषय:- N.G.T.Original Application No. 632/2022, V.K. Tyagi Versus State of Utrkhand के सम्बन्ध में रुडकी में सोलानी नदी की जमीन पर मिलीभगत कर खेती करने व पानी के बहाव को अवरुद्ध करने और पानी को प्रदूषित करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 228/पी0ए0/दिनांक 25.03.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 23.03.2023 को अपरान्ह 11.00 बजे आपके कार्यालय कक्ष में बैठक आहूत की गयी थी। जिसमें इस खण्ड की ओर से श्री मुनेश कुमार शर्मा, उपराजस्व अधिकारी, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रुडकी उपस्थित हुए थे। आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु सं0 2 में उपरोक्त मौके पर 13 अतिक्रमणकारियों के नोटिस निर्गत कर 10 दिवस में अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिये गये थे। प्रश्नगत प्रकरण की जांच सहायक अभियन्ता-तृतीय रुडकी से करायी गई। उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट सं0 105/स0अ0-3/दिनांक 12.04.2023 के अनुसार जिलेदार रुडकी द्वारा 13 अतिक्रमणकारियों (जिनके द्वारा चारा इत्यादि फसल बोई गई थी) के विरुद्ध नोटिस की कार्यवाही कर दिनांक 11.04.2023 में विभाग द्वारा आपके निर्देशन में पुलिस प्रशासन के सहयोग से अवैध रूप से कास्त की गई चारे आदि की फसल को ट्रैक्टर द्वारा जुताई कर सिंचाई विभाग की भूमि को अतिक्रमणमुक्त करा लिया गया है। मा0 न्यायालय N.G.T.के आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया है। अवैध कास्त से मुक्त करायी गई भूमि के फोटोग्राफस की छाया प्रति सलग्न है। आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

०4 किट

भवदीय,



12.4.23

अधिशायी अभियन्ता

उत्तरी खण्ड गंगा नहर

रुडकी।

पत्रांक:- 227 /उखगनरु/तदिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 'गौरा देवी पर्यावरण' भवन 46बी, आई0टी0 पार्क सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून-248001
3. जिलाधिकारी हरिद्वार।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रुडकी।
5. सहायक अभियन्ता-तृतीय, उत्तरी खण्ड गंगा नहर रुडकी को उनके द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के सन्दर्भ में।
6. उपराजस्व अधिकारी, उत्तरी खण्ड गंगा नहर रुडकी।

12




अधिशायी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रुडकी।







